सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 09, मंगलवार, शाके 1944-फरवरी 28, 2023 *Phalguna 09, Tuesday , Saka 1944- February 28, 2023*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 27, 2023

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/ विनियम क्रमांक 146 - विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 वां) की धारा 61, सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. लघुशीर्षक तथा प्रारंभण:

1.1 ये विनियम, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ़ विनिर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 58 में संशोधन।

विनियम 58 के उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा:

"(3) सभी नई राज्यान्तर्गत पारेषण परियोजनाओं जिनकी लागत रुपये दो सौ पचास करोड़ या उससे अधिक होगी उसको भारत सरकार के अधिनियम की धारा 63 के अधीन गाइडलाइनो के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

बशर्ते कि एक परियोजना पर विचार करते समय, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली को सभी अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम पारेषण प्रणालीओं सहित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से

परियोजना के विकास के लिए बोलिया आमंत्रित करने के लिए एकल परियोजना के रूप में विचारित किया जाएगा। यह सीमा उन सभी राज्यान्तर्गत पारेषण परियोजनाओं के लिए लागू होगी जिन्हे आयोग द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है।"

3. विनियम 78 में संशोधन।

विनियम 78 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की अधिप्राप्ति, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राष्ट्रीय टैरिफ नीति और आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार करेगा। अनुज्ञप्तिधारी जैसा कि उपरोक्त विनियम 77 के अंतर्गत अपेक्षित है विद्युत अधिप्रापण लागत प्राक्कलनों के साथ ही वार्षिक अधिप्रापण योजना भी प्रस्तुत करेगा।"

आयोग की आज्ञा से,

सचिव।

NOTIFICATION

Jaipur, January 27, 2023

No. RERC/Secy./Reg. No. 146 - In exercise of the powers conferred on it under Section 61 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following Regulations, namely:

1. Short Title and Commencement

1.1 These Regulations shall be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2023.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of publication of these Regulations in the official gazette.

2. Amendment in regulation 58.

The following regulation shall be added after sub-regulation (2) of regulation 58:

"(3) All new intra-State transmission projects costing Rupees Two Hundred fifty Crore or more shall be developed through Tariff Based Competitive Bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government under Section 63 of the Act.

Provided that while considering a project, the transmission system including all connected upstream/downstream transmission systems shall be considered as a single project, for inviting bids for development of project through Tariff Based Competitive Bidding. This limit shall be applicable for all Intra-State Transmission projects for which approval is yet to be accorded by the Commission."

3. Amendment in regulation 78.

The sub-regulation (1) of regulation 78 shall be substituted as under:

"(1) The Distribution Licensee shall procure electricity in accordance with the National Tariff Policy issued by the Central Government from time to time and Regulations made by the Commission in this regard. The Licensee shall also submit Cost estimates for power procurement along with the annual procurement plan as required under Regulation 77 above."

By Orders of the Commission,

Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।